<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>
<u>पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर०ए०एस०</u>

<u>प्रकरण संख्या 14 / 2023 (उदयपुर आर्डर)</u>

प्रकाश जैन पिता सूरजमल जैन, निवासी बाठरडा कलां, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. कल्याणेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट जरिये सेकेट्री विशाल जैफ पिता कन्हैयालाल जी मीणा, निवासी एम 80, महेश कॉलोनी, नियर जे.पी. फाटक अन्डर पास, लाल कोठी, टोंक रोड़, जयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम –1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
14.06.2023 प्रकरण संख्या 73 / 2022

–––/–––

उपस्थित :– 1– श्री हर्षवर्धन जैन अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री सुखलाल मेघवाल अभिभाषक रे.सं. 1
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

–––::–––

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 24–07–2024</u>

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पिण्डोलिया में आराजी नंबर 225, 251, 255, 257 कुल किता 4 रकबा 7.4100 हैक्टर स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के खातेदारी हक में अंकित है। प्रार्थी की आराजी के दक्षिण दिशा में मौजा चौडा की आराजी नंबर 552 रकबा 2.1400 हैक्टर भूमि भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में सरकारी पडत दर्ज है। प्रार्थी सड़क के आराजी नंबर 550 के रास्ते से होते हुए उक्त सरकारी भूमि से अपने खेतों पर आता जाता है। जो अपने खेतों पर आने जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:14 IST
Reason: SelfAttested

हेतु 30 फिट चौड़े एवं 500 फिट लम्बे रास्ता की आवश्यकता है एवं रास्ते का प्रार्थी उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। अतः आराजी नंबर 552 में 30 बाई 500 अर्थात कुल 15000 वर्गफुट रास्ता दिया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14–06–2023 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 11–08–2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुखराम मेघवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी द्वारा अपनी जिस आराजी नंबर 225, 251, 255, 257 में आने जाने हेतु आराजी नंबर 552 व 550 में से रास्ता चाहा गया है, उन आराजी से संलग्न अपीलान्ट की आराजी नंबर 254 है, जो अपीलान्ट के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी के खाते की आराजियात में आने–जाने हेतु पूर्व से रास्ता उपलब्ध है। रेस्पोन्डेन्ट की भूमि ग्राम पिण्डोलिया में स्थित है, जबकि उसके द्वारा ग्राम चौडा की भूमि से रास्ते की मांग की गयी है। इस प्रकार दो अलग–अलग गांव होने से उक्त रास्ते की मांग विधि विरूद्ध है। रेस्पोन्डेन्ट से अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये उसकी अनुपस्थिति में निर्णय प्राप्त कर लिया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट के खेतों में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने डी.एल.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:14 IST
Reason: SelfAttested

सी. दर से दुगनी राशि अदा करने की शर्त पर उक्त रास्ते बाबत् आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर 2022 CT (Raj.) Page 64 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न नक्शे अनुसार प्रार्थी की खाते की आराजी नंबर 257 में जाने हेतु दक्षिण दिशा से जो रास्ता दिया गया है, उससे लगती हुई अपीलान्ट के खाते की आराजी नंबर 254 स्थित है। ऐसी स्थिति में बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये एवं बिना सुने उसकी आराजी से सटता हुआ जो रास्ता दिया गया है, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार उसमें अपीलान्ट के खाते का भी कुछ भाग सम्मिलित होना प्रकट होता है। तद्ननुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट के खाते की आराजी नंबर 254 के दक्षिण की भूमि को छोड़ते हुए आराजी नंबर 552 की बिलानाम भूमि से रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय दिनांक 14–06–2023 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 24–07–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:14 IST
Reason: SelfAttested